



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939

No. 47]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 1/2018- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 64(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (iv) में,-

(i) उप मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भूमि को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए वर्तमान मलिन बस्तियों का स्व:स्थानिक पुनर्विकास;”;

(ii) उप मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(घक) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य/स्थानीय प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा भागीदारी के तहत एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्मित आवासों से संबंधित हो;

(घख) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग-1 (एमआईजी-1)/मध्यम आय वर्ग-2 (एमआईजी-2) से संबंधित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत निर्मित या अधिग्रहित मकानों से संबंधित हो”;

(iii) उप मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(छ) ऐसा भवन जो कि ऐसे किसी निकाय के स्वामित्व में हो जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत पंजीकृत हो, जिसका प्रयोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को प्रदान करने, केन्द्रीय रूप से तैयार करने या उसका वितरण करने के कार्य में किया जाता हो,”

ख. मद (v) में,

(i) उप मद (क) में “छोड़कर” शब्द के स्थान पर “समेत” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ii) उप मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

“(घक) किसी एफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना के अंतर्गत बनाए गए सस्ते मकान जिनका कार्पेट एरिया 60 वर्ग मीटर प्रति मकान हो जिनको भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले के विभाग की अधिसूचना, फा. सं.13/6/2009-आईएनएफ, दिनांक 30 मार्च, 2017 के तहत अवसंरचना का दर्जा दिया गया हो,”;

ग. मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, कॉलम (3), (4) और (5) में, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ix) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (iii) या (vi) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो।	6	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।
(x) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (vii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो	2.5	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।
(xi) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(xii) निर्माण सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) से भिन्न हों।	9	”;

- (ख) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (v) में “प्राकृतिक गैस” शब्दों के स्थान पर “प्राकृतिक गैस, कच्चा पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), हाई स्पीड डीजल या एविएशन टर्बाईन फ्यूल” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि माल (जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, से पृथक) पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) परिवहन वाहनों को चाहे चालक समेत अथवा बिना चालक के किराए पर देने की सेवा, उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न।	9	-”;

- (घ) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“16	शीर्ष 9972	(i) भूमि को पट्टे पर दिए जाने के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	-
		(ii) पट्टे या उप पट्टे के आधार पर किसी भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से की आपूर्ति जहां कि ऐसी आपूर्ति मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक) एवं मद (vi) के उप मद (ग) में क्रम संख्या 3 के समक्ष प्रविष्टि के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट फ्लैटों आदि के निर्माण की संयुक्त आपूर्ति का एक हिस्सा है। बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे पट्टे या उप-पट्टे पर भारित उस किसी राशि पर लागू नहीं होगी जो कि उक्त संयुक्त आपूर्ति पर भारित कुल राशि के एक तिहाई से अधिक हो। इस परन्तुक के संदर्भ में “कुल राशि” का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए इस अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में दिया गया है।	शून्य	-
		(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) से पृथक रीएल एस्टेट सेवाएं	9	-”;

- (ङ) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम संख्या (3) में मद (vii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(vii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि ऐसे माल (जो कि जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, में लदे सामानों से पृथक) इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]

(viii) पट्टा या किराए की सेवाएं चाहे आपरेटर सहित हों या नहीं, जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) से पृथक् हैं।	केन्द्रीय कर की वही दर जो कि इसी प्रकार के माल, जिसमें माल के स्वामित्व का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लागू हो।	-”;
--	--	-----

(च) क्रम संख्या 23 के समक्ष शर्त 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि (i) से संबंधित कॉलम (5) की प्रविष्टि में, “सेवाओं की आपूर्ति”, शब्दों के पश्चात् “, इसी प्रकार के व्यापार (जैसे कि किसी अन्य दूर आपरेटर से ली गई दूर आपरेटर सेवा) में इनपुट सेवाओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट से भिन्न” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(छ) क्रम संख्या 23 के समक्ष कॉलम (3) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) समर्थन सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न हों।	9	-”;

(ज) क्रम संख्या 24 के समक्ष कॉलम (3),-

(i) के मद (i) की प्रविष्टि में दिए गए स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (i) में उप उपवाक्य (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ज) कृषि उत्पादों के वेयर हाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवा;”;

(ii) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) कच्चे पेट्रोलियम और/या प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग की सेवा	6	-
(iii) खनन, विद्युत, गैस और जल संचितरण की सहायक सेवाएं जो कि उपर्युक्त (ii) से भिन्न हों।	9	-”;

(झ) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25	शीर्ष 9987	(i) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) देखभाल, मरम्मत और संस्थापन सेवाएं (निर्माण कार्य को छोड़कर), उपर्युक्त (i) से भिन्न।	9	-”;

(ज) क्रम संख्या 26 के समक्ष कॉलम (3) में,-

क. मद (i) उप मद (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(ड.क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 में आने वाले क्रमशः चमड़े के सामानों या फुटवियर का विनिर्माण;”;

ख. मद (iii) के स्थान पर और उससे संबंधित (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) टेलरिंग सेवाएं	2.5	-
(iv) दूसरे के स्वामित्व में आने वाले भौतिक वस्तुओं (सामानों) के विनिर्माण की सेवाएं, उपर्युक्त (i), (iक), (ii), (iik) और (iii) से भिन्न ।	9	-”;

(ट) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	शीर्ष 9994	(i) कॉमन ईफ्लयेंट प्लांट के द्वारा उत्सर्जनों के परिशोधन की सेवाएं	6	-
		(ii) सिवेज और कचड़ों का संकलन, उनका परिशोधन और निपटान तथा अन्य पर्यावरण रक्षक सेवाएं, उपर्युक्त (i) से भिन्न	9	-”;

(ठ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3),

क. मद (iii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) मनोरंजन पार्कों जिसमें थीम पार्कस, वाटर पार्कस, जॉय राइडस, मैरीगो राउंडस, गो-कार्टिंग भी आते हैं और बैले में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा ।	9	-
(iiiक) मनोरंजन समारोह में प्रवेश या मनोरंजन सुविधाओं, जिसमें सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन, कैसिनो, रेस क्लब और क्रीड़ा समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग भी शामिल है और इसी तरह के अन्य बातें शामिल हैं, में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा ।	14	-”;

ख. मद (vi) में, कोष्ठक और अंक “(iii)” के बाद कोष्ठक और अंक “(iiiक),” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या (3) के मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक); और मद (vi) के उप मद (ग) के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की आपूर्ति के मामले में, जिसमें भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, का अंतरण शामिल हो तो ऐसी आपूर्ति का मूल्य उस कुल राशि के समतुल्य होगा जो कि ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि में से ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य को घटाकर प्राप्त होगी और ऐसी भूमि के या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य के लिए यह माना जाएगा कि यह ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि का एक-तिहाई होगा ।

स्पष्टीकरण – उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के मामले में, “कुल राशि” से अभिप्राय -

(क) उपर्युक्त सेवाओं के एवज में भारित प्रतिफल; और

(ख) ऐसी भूमि के/की या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से के/की, जैसी भी स्थिति हो, अंतरण पर भारित राशि, जिसमें ऐसे अंतरण में पट्टा या उप पट्टा भी शामिल है, के योग से है”

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोटः—प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 46/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, सा.का.नि. 1405 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 1/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R.64(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,

- (i) in the Table, -
 - i. against serial number 3, in column (3), -
 - (A) in item (iv),-
- (I) for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -

‘(c) a civil structure or any other original works pertaining to the “In-situ redevelopment of existing slums using land as a resource, under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);’;
- (II) after sub-item (d), the following sub-items shall be inserted, namely: -

‘(da) a civil structure or any other original works pertaining to the “Economically Weaker Section (EWS) houses” constructed under the Affordable Housing in partnership by State or Union territory or local authority or urban development authority under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);

(db) a civil structure or any other original works pertaining to the “houses constructed or acquired under the Credit Linked Subsidy Scheme for Economically Weaker Section (EWS)/ Lower Income Group (LIG)/ Middle Income Group-1 (MIG-1)/ Middle Income Group-2 (MIG-2)” under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);’;
- (III) after sub-item (f), the following sub-items shall be inserted, namely: -

“(g) a building owned by an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which is used for carrying out the activities of providing, centralised cooking or distribution, for mid-day meals under the mid-day meal scheme sponsored by the Central Government, State Government, Union territory or local authorities.”;

(B) in item (v),

(I) in sub-item (a), for the word “excluding”, the word “including” shall be substituted;

(II) after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -

“(da) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in an affordable housing project which has been given infrastructure status vide notification of Government of India, in Ministry of Finance, Department of Economic Affairs vide F. No. 13/6/2009-INF, dated the 30th March, 2017;”;

(C) for item (ix) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ix) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (iii) or item (vi) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	6	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(x) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (vii) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(xi) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(xii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi) above.	9	-”;

ii. against serial number 9, in the entry in column (3), in item (v), for the words “natural gas”, the words and brackets “natural gas, petroleum crude, motor spirit (commonly known as petrol), high speed diesel or aviation turbine fuel” shall be substituted;

iii. against serial number 10, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken

		[Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(iii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- iv. for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“16	Heading 9972	(i) Services by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to governmental authority or government entity, by way of lease of land.	Nil	-
		(ii) Supply of land or undivided share of land by way of lease or sub lease where such supply is a part of composite supply of construction of flats, etc. specified in the entry in column (3), against serial number 3, at item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi). Provided that nothing contained in this entry shall apply to an amount charged for such lease and sub-lease in excess of one third of the total amount charged for the said composite supply. Total amount shall have the same meaning for the purpose of this proviso as given in paragraph 2 of this notification.	Nil	-
		(iii) Real estate services other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- v. against serial number 17, for item (vii) in column (3), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(viii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) above.	Same rate of central tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods.	-”;

- vi. in serial number 23, against item (i) in column (3), in condition 1 in column (5), after the words “supplying the service”, the words and brackets “, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. tour operator service procured from another tour operator)” shall be inserted;
- vii. against serial number 23, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(iii) Support services other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- viii. against serial number 24,-

(A) in the *Explanation* to item (i) in column (3), in clause (i), after sub-clause (g), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.”;

(B) for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Service of exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both.	6	-
(iii) Support services to mining, electricity, gas and water distribution other than (ii) above.	9	”;

ix. for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25	Heading 9987	(i) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
		(ii) Maintenance, repair and installation (except construction) services, other than (i) above.	9	”;

x. against serial number 26, in column (3),-

(A) in item (i), after sub-item (e), the following sub-item shall be inserted, namely: -

“(ea) manufacture of leather goods or foot wear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) respectively”;

(B) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Tailoring services.	2.5	-
(iv) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i), (ia), (ii), (iia) and (iii) above.	9	”;

xi. for serial number 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	Heading 9994	(i) Services by way of treatment of effluents by a Common Effluent Treatment Plant.	6	-
		(ii) Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services other than (i) above.	9	”;

xii. against serial number 34, in column (3),-

(A) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services by way of admission to amusement parks including theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting and ballet.	9	-
(iiia) Services by way of admission to entertainment events or access to amusement facilities including exhibition of cinematograph films, casinos, race club, any sporting event such as Indian Premier League and the like.	14	-”;

(B) in item (vi), after the brackets and figures “(iii)”, the brackets and figures “(iiia),” shall be inserted;

(ii) for paragraph 2, the following shall be substituted, namely: -

“2. In case of supply of service specified in column (3), in item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi), against serial number 3 of the Table above, involving transfer of land or undivided share of land, as the case may be, the value of such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of transfer of land or undivided share of land, as the case may be, and the value of such transfer of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

Explanation. –For the purposes of this paragraph, “total amount” means the sum total of,-

(a) consideration charged for aforesaid service; and

(b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be including by way of lease or sublease.”.

[F. No.354/13/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 11/2017 - Central Tax(Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 46/2017-Central Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 *vide* number G.S.R. 1405(E), dated the 14th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 2/2018- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 65(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 691 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष कालम (3) की प्रविष्टि में, “सरकारी प्राधिकारी” शब्दों के पश्चात् “या सरकारी निकाय” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा, -

(ख) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3क	अध्याय 99	संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत किसी नगर निगम को सौंपे गए किसी कार्य से संबंधित किसी क्रियाकलाप के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय को दी जाने वाली माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति जिसमें माल की उक्त संयुक्त आपूर्ति का मूल्य ऐसी आपूर्ति के मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक न हो।	शून्य	शून्य";

(ग) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"19क	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर वायुयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।
19ख	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लीयरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर जलयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।

(ङ) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन जो कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन की सेवा प्रदान करता हो जो कि विद्यालय पूर्व की शिक्षा और माध्यमिक स्तर या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है";

(च) क्रम संख्या 29 के समक्ष और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"29क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	केन्द्र सरकार की सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत तटरक्षक के कर्मचारियों को नवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(छ) क्रम संख्या 36 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में "पचास हजार" शब्दों के स्थान पर "दो लाख" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रम संख्या 35 या 36 में विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के पुनः बीमा के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

(झ) क्रम संख्या 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"39क	शीर्ष 9971	<p>किसी ब्रह्म सेवा वाले विशेष आर्थिक जोन में स्थित वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ जिनका इंटरनेशनल फाइनेशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) स्टेटस हो, के द्वारा भारत के बाहर स्थित किसी ग्राहक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रुपए से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में दी गई सेवाएं</p> <p>स्पष्टीकरण :- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है,</p> <p>(i) जिसे भारत सरकार ने इस निमित्त अनुमति या मान्यता दी है या किसी विनियामक प्राधिकरण ने इस निमित्त अनुमति दी है या जो आईएफएससी के विनियमन के लिए नियुक्त कोई विनियामक है के रूप में मान्यता दी है, या</p> <p>(ii) जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियमावली, 2015 के अंतर्गत भारत के बाहर का कोई निवासी व्यक्ति माना गया हो, या</p> <p>(iii) जो कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) के दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत आईएफएससी बीमा अधिकारी के रूप में पंजीकृत हो, या</p> <p>(iii) जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत इस निमित्त अनुमति प्रदान की हो।</p>	शून्य	शून्य";

(ञ) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क), उप मद (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;"

ii. मद (ख), उप मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iv) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;"

iii. मद (ग), उप मद (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय।";

(ट) क्रम संख्या 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"53क	शीर्ष 9985	कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

- (ठ) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में मद (ख), के पश्चात् निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
 “(ज) कृषि उत्पादों के बेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।”
- (ड) क्रम संख्या 60 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “विदेश मंत्रालय,” को निरसित किया जाएगा, यथा:
- (ढ) क्रम संख्या 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“65क	शीर्ष 9991	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

- (ण) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

- i. मद (क) के पश्चात्, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(कक) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के एवज में प्रवेश परीक्षा को आयोजित करके दी जाने वाली सेवा;”

- ii. मद (ख) में,-

(क) उप-मद (iv) में, “ माध्यमिक स्तर तक” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख) उप मद (iv), के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(v) एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की ऑन लाइन आपूर्ति :”;

(ग) परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “प्रविष्टि (ख)” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “मद (ख) के उप मद (i), (ii) और (iii) ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते और भी कि मद (ख) के उप मद (v) में निहित कोई भी बात ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो कि, -

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या समकक्ष स्तर तक शिक्षा के माध्यम से; या

(ii) किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हों”;

(त) क्रम संख्या 77 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पांच सौ” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(थ) क्रम संख्या 81 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“निम्नलिखित में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी जाने वाली सेवाएं -

(क) सर्कस, नृत्य या थिएटर-मंचन जिसमें नाटक या बैले भी शामिल है;

(ख) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह और पैजियंट प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शन या कोई क्रीड़ा जो कि मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह से भिन्न हो;

(ग) मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह;

(घ) तारामंडल;

जहां उपर्युक्त मद (क), (ख), (ग) या (घ) में यथा संदर्भित समारोह या स्थानों में प्रवेश के अधिकार का प्रतिफल 500 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक न हो।”।

[फा. सं.354/13/2018 -टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट :— प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 47/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे सा.का.नि 1406 (अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 2/2018- Central Tax (Rate)

G.S.R. 65(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (a) against serial number 3, in the entry in column (3), after the words “a Governmental Authority” the words “or a Government Entity” shall be inserted;
- (b) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3A	Chapter 99	Composite supply of goods and services in which the value of supply of goods constitutes not more than 25 per cent. of the value of the said composite supply provided to the Central Government, State Government or Union territory or local authority or a Governmental authority or a Government Entity by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution or in relation to any function entrusted to a Municipality under article 243W of the Constitution.	Nil	Nil”;

- (c) against serial number 16, in the entry in column (3), for the words “one year”, the words “three years” shall be substituted;

- (d) after serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“19A	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by an aircraft from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after the 30 th day of September, 2018.
19B	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by a vessel from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after the 30 th day of September, 2018.”;

- (e) against serial number 22, in the entry in column (3), after item (b), the following item shall be inserted, namely: -

“(c) motor vehicle for transport of students, faculty and staff, to a person providing services of transportation of students, faculty and staff to an educational institution providing services by way of pre-school education and education upto higher secondary school or equivalent.”;

- (f) after serial number 29 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“29A	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Naval Group Insurance Fund to the personnel of Coast Guard under the Group Insurance Schemes of the Central Government.	Nil	Nil”;

- (g) against serial number 36, in the entry in column (3), in item (c), for the words “fifty thousand”, the words “two lakhs” shall be substituted;

- (h) after serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by way of reinsurance of the insurance schemes specified in serial number 35 or 36.	Nil	Nil”;

- (i) after serial number 39 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“39A	Heading 9971	Services by an intermediary of financial services located in a multi services SEZ with International Financial Services Centre (IFSC) status to a customer located outside India for international financial services in currencies other than Indian rupees (INR). <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the intermediary of financial services in IFSC is a person,- (i) who is permitted or recognised as such by the Government of India or any Regulator appointed for regulation of IFSC; or (ii) who is treated as a person resident outside India under the Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015; or (iii) who is registered under the Insurance Regulatory and	Nil	Nil”;

		Development Authority of India (International Financial Service Centre) Guidelines, 2015 as IFSC Insurance Office; or (iv) who is permitted as such by Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015.		
--	--	---	--	--

(j) against serial number 45, in the entry in column (3),-

iv. in item (a), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity.”;

v. in item (b), after sub-item (iii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(iv) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity.”;

vi. in item (c), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity.”;

(k) after serial number 53 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“53A	Heading 9985	Services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.	Nil	Nil”;

(l) against serial number 54, in the entry in column (3), after item (g), the following item shall be inserted, namely:-

“(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.”;

(m) against serial number 60, in the entry in column (3), the words “the Ministry of External Affairs,” shall be omitted;

(n) after serial number 65 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“65A	Heading 9991	Services by way of providing information under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005).	Nil	Nil”;

(o) against serial number 66, in the entry in column (3),-

i. after item (a), the following item shall be inserted, namely:-

“(aa) by an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee.”;

ii. in item (b),-

A. in sub-item (iv), the words “upto higher secondary” shall be omitted;

B. after sub-item (iv), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(v) supply of online educational journals or periodicals.”;

C. in the proviso, for the word, brackets and letter “entry (b)”, the words, brackets and letters “sub-items (i), (ii) and (iii) of item (b)” shall be substituted;

D. after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that nothing contained in sub-item (v) of item (b) shall apply to an institution providing services by way of,-

- (i) pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent; or
- (ii) education as a part of an approved vocational education course.”;

(p) against serial number 77, in the entry in column (3), in item (c), for the words “five thousand”, the words “seven thousand five hundred” shall be substituted;

(q) against serial number 81, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -

“Services by way of right to admission to-

- (a) circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet;
- (b) award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognised sporting event;
- (c) recognised sporting event;
- (d) planetarium,

where the consideration for right to admission to the events or places as referred to in items (a), (b), (c) or (d) above is not more than Rs 500 per person.”.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.47/2017 - Central Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 *vide* number G.S.R. 1406(E), dated the 14th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 3/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 66 (अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 09 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 692 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“5क	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति।

- (ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-
'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है।'।

[फा. सं.354/13/2018- टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट :— प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 जिसे सा.का.नि 1275 (अ.) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 3/2018- Central Tax (Rate)

G.S.R.66(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017.";

- (ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

'(f) "insurance agent" shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).'

[F. No. 354/13/2018- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 33/2017 - Central Tax (Rate), dated the 13th October, 2017 *vide* number G.S.R. 1275 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 4/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि.67(अ.).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात् :-

- (क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और
- (ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर केन्द्रीय कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है।

[फा. सं.354/13/2018- टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 4/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely :-

- (a) registered persons who supply development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration, wholly or partly, in the form of construction service of complex, building or civil structure; and
- (b) registered persons who supply construction service of complex, building or civil structure to supplier of development rights against consideration, wholly or partly, in the form of transfer of development rights,

as the registered persons in whose case the liability to pay central tax on supply of the said services, on the consideration received in the form of construction service referred to in clause (a) above and in the form of development rights referred to in clause (b) above, shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure, to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed or similar instrument (for example allotment letter).

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

संख्या 5/2018- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 68(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर केन्द्रीय कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक यह प्रॉफिट पेट्रोलियम में केन्द्र सरकार के हिस्से, इसकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केन्द्र सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है।

[फा. सं.354/13/2018- टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 5/2018- Central Tax (Rate)

G.S.R.68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of services by way of grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas or both, from so much of the central tax as is leviable on the consideration paid to the Central Government in the form of Central Government's share of profit petroleum as defined in the contract entered into by the Central Government in this behalf.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

संख्या 1/2018- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 69(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), धारा 6 की उप धारा (1), तथा धारा 20 के खंड (iii), एवं खंड (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II, भाग 3, उप भाग (i) में सा.का.नि. संख्या 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (iv) में,

- (i) उप मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
 “(ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भूमि को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए वर्तमान मलिन बस्तियों का स्व:स्थानिक पुनर्विकास;”;
- (ii) उप मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
 “(घक) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य/स्थानीय प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा भागीदारी के तहत एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्मित आवासों से संबंधित हो;
 (घख) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग-1 (एमआईजी-1)/मध्यम आय वर्ग-2 (एमआईजी-2) से संबंधित क्रेडिट लिंक सिब्सडी स्कीम के अंतर्गत निर्मित या अधिग्रहित मकानों से संबंधित हो”;
- (iii) उप मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-
 “(छ) ऐसा भवन जो कि ऐसे किसी निकाय के स्वामित्व में हो जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत पंजीकृत हो, जिसका प्रयोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को प्रदान करने, केन्द्रीय रूप से तैयार करने या उसका वितरण करने के कार्य में किया जाता हो,”;
- ख. मद (v) में,
 (i) उप मद (क) में “छोड़कर” शब्द के स्थान पर “समेत” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा,
 (ii) उप मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा,
 “(घक) किसी एफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना के अंतर्गत बनाए गए सस्ते मकान जिनका कार्पेट एरिया 60 वर्ग मीटर प्रति मकान हो जिनको भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले के विभाग की अधिसूचना, फा. सं.13/6/2009-आईएनएफ, दिनांक 30 मार्च, 2017 के तहत अवसंरचना का दर्जा दिया गया हो;”;
- ग. मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, कॉलम (3), (4) और (5) में, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ix) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (iii) या (vi) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो।	12	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।
(x) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार	5	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र

द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (vii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो		या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।
(xi) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(xii) निर्माण सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) से भिन्न हों।	18	-”;

(ख) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (v) में “प्राकृतिक गैस” शब्दों के स्थान पर “प्राकृतिक गैस, कच्चा पेट्रोलियम, मोटर स्प्रिट (जिसे सामान्य पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), हाई स्पीड डीजल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	5	बशर्ते कि माल (जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, से पृथक्) पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) परिवहन वाहनों को चाहे चालक समेत अथवा बिना चालक के किराए पर देने की सेवा, उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न।	18	-”;

(ङ) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“16	शीर्ष 9972	(i) भूमि को पट्टे पर दिए जाने के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	-
		(ii) पट्टे या उप पट्टे के आधार पर किसी भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से की आपूर्ति जहां कि ऐसी आपूर्ति मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक) एवं मद (vi) के उप मद	शून्य	-

	<p>(ग) में क्रम संख्या 3 के समक्ष प्रविष्टि के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट फ्लैटों आदि के निर्माण की संयुक्त आपूर्ति का एक हिस्सा है।</p> <p>बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे पट्टे या उप-पट्टे पर भारित उस किसी राशि पर लागू नहीं होगी जो कि उक्त संयुक्त आपूर्ति पर भारित कुल राशि के एक तिहाई से अधिक हो। इस परन्तुक के संदर्भ में “कुल राशि” का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए इस अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में दिया गया है।</p>		
	(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) से पृथक रीएल एस्टेट सेवाएं	18	-”;

- (ड) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम संख्या (3) में मद (vii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	5	बशर्ते कि ऐसे माल (जो कि जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, में लदे सामानों से पृथक) इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(viii) पट्टा या किराए की सेवाएं चाहे आपरेटर सहित हों या नहीं, जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) से पृथक हैं।	एकीकृत कर की वही दर जो कि इसी प्रकार के माल, जिसमें माल के स्वामित्व का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लागू हो।	-”;

- (च) क्रम संख्या 23 के समक्ष शर्त 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि (i) से संबंधित कॉलम (5) की प्रविष्टि में, “सेवाओं की आपूर्ति”, शब्दों के पश्चात् “, इसी प्रकार के व्यापार (जैसे कि किसी अन्य दूर आपरेटर से ली गई दूर आपरेटर सेवा) में इनपुट सेवाओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट से भिन्न” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

- (छ) क्रम संख्या 23 के समक्ष कॉलम (3) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) समर्थन सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न हों।	18	-”;

- (ज) क्रम संख्या 24 के समक्ष कॉलम (3),-

(i) के मद की प्रविष्टि में दिए गए स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (i) में उप उपवाक्य (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ज) कृषि उत्पादों के वेयर हाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवा;”;

(ii) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) कच्चे पेट्रोलियम और/या प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग की सेवा	12	-
(iii) खनन, विद्युत, गैस और जल संचितरण की सहायक सेवाएं जो कि उपर्युक्त (ii) से भिन्न हों।	18	-”;

(झ) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25	शीर्ष 9987	(i) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) देखभाल, मरम्मत और संस्थापन सेवाएं (निर्माण कार्य को छोड़कर), उपर्युक्त (i) से भिन्न।	18	-”;

(ञ) क्रम संख्या 26 के समक्ष कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) उप मद (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(ड.क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 में आने वाले क्रमशः चमड़े के सामानों या फुटवियर का विनिर्माण;”;

(ख) मद (iii) के स्थान पर और उससे संबंधित (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) टेलरिंग सेवाएं।	5	-
(iv) दूसरे के स्वामित्व में आने वाले भौतिक वस्तुओं (सामानों) के विनिर्माण की सेवाएं, उपर्युक्त (i), (ik), (ii), (iik) और (iii) से भिन्न।	18	-”;

(ट) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	शीर्ष 9994	(i) कॉमन ईफ्ल्येंट प्लांट के द्वारा उत्सर्जनों के परिशोधन की सेवाएं	12	-
		(ii) सिवेज और कचड़ों का संकलन, उनका परिशोधन और निपटान तथा अन्य पर्यावरण रक्षक सेवाएं, उपर्युक्त (i) से भिन्न	18	-”;

(ठ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3),

(क) मद (iii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) मनोरंजन पार्कों जिसमें थीम पार्कस, वाटर पार्कस, जॉय राइड्स, मैरीगो राउंडस, गो-कार्टिंग भी आते हैं और बैले में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।	18	-
(iii) मनोरंजन समारोह में प्रवेश या मनोरंजन सुविधाओं, जिसमें सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन, कैसिनो, रेस क्लब और क्रीड़ा समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग भी शामिल है और इसी तरह के अन्य बातें शामिल हैं, में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।	28	-”;

(ख) मद (vi) में, कोष्ठक और अंक “(iii)” के बाद कोष्ठक और अंक “(iii),” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“2. उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या (3) के मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक); और मद (vi) के उप मद (ग) के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की आपूर्ति के मामले में, जिसमें भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से के स्वामित्व, जैसी भी स्थिति हो, का अंतरण शामिल हो तो ऐसी आपूर्ति का मूल्य उस कुल राशि के समतुल्य होगा जो कि ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि में से ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य को घटाकर प्राप्त होगी और ऐसी भूमि के या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य के लिए यह माना जाएगा कि यह ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि का एक-तिहाई होगा।

स्पष्टीकरण – उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के मामले में, “कुल राशि” से अभिप्राय -

(क) उपर्युक्त सेवाओं के एवज में भारित प्रतिफल; और

(ख) ऐसी भूमि के/की या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से के/की, जैसी भी स्थिति हो, अंतरण पर भारित राशि, जिसमें ऐसे अंतरण में पट्टा/उप पट्टा भी शामिल है, के योग से है।”।

[फा. सं.354/13/2018- टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट:— प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं0. 11/2017 – संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 1407(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत अधिसूचना संख्या 46/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 1/2018-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (iii) and clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification,

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, in column (3), -

(A) in item (iv),

(I) for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -

‘(c) a civil structure or any other original works pertaining to the “In-situ redevelopment of existing slums using land as a resource, under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);’;

(II) after sub-item (d), the following sub-items shall be inserted, namely: -

‘(da) a civil structure or any other original works pertaining to the “Economically Weaker Section (EWS) houses” constructed under the Affordable Housing in partnership by State or Union Territory or local authority or urban development authority under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);

(db) a civil structure or any other original works pertaining to the “houses constructed or acquired under the Credit Linked Subsidy Scheme for Economically Weaker Section (EWS)/ Lower Income Group (LIG)/ Middle Income Group-1 (MIG-1)/ Middle Income Group-2 (MIG-2)” under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);’;

(III) after sub-item (f), the following sub-items shall be inserted, namely: -

“(g) a building owned by an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which is used for carrying out the activities of providing, centralised cooking or distribution, for mid-day meals under the mid-day meal scheme sponsored by the Central Government, State Government, Union territory or local authorities.”;

(B) in item (v),

(I) in sub-item (a), for the word “excluding”, the word “including” shall be substituted;

(II) after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -

“(da) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in an affordable housing project which has been given infrastructure status vide notification of Government of India, in Ministry of Finance, Department of Economic Affairs vide F. No. 13/6/2009-INF, dated the 30th March, 2017;”;

(C) for item (ix) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ix) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (iii) or item (vi) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	12	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(x) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (vii) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.

(xi) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)].
(xii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi) above.	18	-”;

- (b) against serial number 9, in the entry in column (3), in item (v), for the words “natural gas”, the words and brackets “natural gas, petroleum crude, motor spirit (commonly known as petrol), high speed diesel or aviation turbine fuel” shall be substituted;
- (c) against serial number 10, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Time charter of vessels for transport of goods.	5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)].
(iii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) and (ii) above.	18	-”;

- (d) for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“16	Heading 9972	(i) Services by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to governmental authority or government entity, by way of lease of land.	Nil	-
		(ii) Supply of land or undivided share of land by way of lease or sub lease where such supply is a part of composite supply of construction of flats etc. specified in the entry in column (3) against serial number 3, at item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi). Provided that nothing contained in this entry shall apply to an amount charged for such lease and sub-lease in excess of one third of the total amount charged for the said composite supply. Total amount shall have the same meaning for the purpose of this proviso as given in paragraph 2 of this notification.	Nil	-
		(iii) Real estate services other than (i) and (ii) above.	18	-”;

- (e) against serial number 17, for item (vii) in column (3), and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Time charter of vessels for transport of goods.	5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)].

(viii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) above.	Same rate of integrated tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods.	-”;
--	---	-----

- (f) against serial number 23, against item (i) in column (3), in condition 1 in column (5), after the words “supplying the service”, the words and brackets “, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. tour operator service procured from another tour operator)” shall be inserted;
- (g) against serial number 23, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)].
(iii) Support services other than (i) and (ii) above.	18	-”;

- (h) against serial number 24,-
- (A) in the *Explanation* to item (i) in column (3), in clause (i), after sub-clause (g), the following sub-clause shall be inserted, namely :-
- “(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.”;
- (B) for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Service of exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both.	12	-
(iii) Support services to mining, electricity, gas and water distribution other than (ii) above.	18	-”;

- (i) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25	Heading 9987	(i) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017	5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> No. (iv)].
		(ii) Maintenance, repair and installation (except construction) services, other than (i) above.	18	-”;

- (j) against serial number 26, in column (3),-

(A) in item (i), after sub-item (e), the following sub-item shall be inserted, namely: -

“(ea) manufacture of leather goods or footwear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) respectively;”;

(B) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Tailoring services.	5	-
(iv) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i), (ia), (ii), (iia) and (iii) above.	18	-”;

(k) for serial number 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	Heading 9994	(i) Services by way of treatment of effluents by a Common Effluent Treatment Plant.	12	-
		(ii) Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services other than (i) above.	18	-”;

(l) against serial number 34, in column (3),

(A) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services by way of admission to amusement parks including theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting and ballet.	18	-
(iiia) Services by way of admission to entertainment events or access to amusement facilities including exhibition of cinematograph films, casinos, race club, any sporting event such as Indian Premier League and the like.	28	-”;

(B) in item (vi), after the brackets and figures “(iii)”, the brackets and figures “(iiia),” shall be inserted;

(ii) for paragraph 2, the following shall be substituted, namely: -

“2. In case of supply of service specified in column (3), in item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi), against serial number 3 of the Table above, involving transfer of land or undivided share of land, as the case may be, the value of such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of transfer of land or undivided share of land, as the case may be, and the value of such transfer of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

Explanation. –For the purposes of this paragraph, “total amount” means the sum total of,-

(a) consideration charged for aforesaid service; and

(b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be including by way of lease/sublease.”.

[F. No. 354/13/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 8/2017 - Integrated Tax(Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 48/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 vide number G.S.R. 1407(E), dated the 14th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 2/2018- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 70(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिपक्व की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (क) क्रम संख्या 3 के समक्ष कालम (3) की प्रविष्टि में, “सरकारी प्राधिकारी” शब्दों के पश्चात् “या सरकारी निकाय” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ख) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*3क	अध्याय 99	संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत किसी नगर निगम को सौंपे गए किसी कार्य से संबंधित किसी क्रियाकलाप के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय को दी जाने वाली माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति जिसमें माल की उक्त संयुक्त आपूर्ति का मूल्य ऐसी आपूर्ति के मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक न हो।	शून्य	शून्य”;

- (ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -
- “(खक) शैक्षणिक संस्थान को एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की ऑन लाइन आपूर्ति के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं, जो कि ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो निम्नलिखित सेवाएं दे रहे हों, -

- (i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या समकक्ष स्तर तक शिक्षा के माध्यम से या
- (ii) किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से

- (घ) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ङ) क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“20क	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लियरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर वायुयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।
20ख	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लियरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर जलयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।

- (च) क्रम संख्या 23 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -
 “(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन जो कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन की सेवा प्रदान करता हो जो कि विद्यालय पूर्व की शिक्षा और माध्यमिक स्तर या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है”;
- (छ) क्रम संख्या 30 के समक्ष और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“30क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	केन्द्र सरकार की सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत तटरक्षक के कर्मचारियों को नवल ग्रुप इश्योरेंस फंड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

- (ज) क्रम संख्या 37 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में “पचास हजार” शब्दों के स्थान पर “दो लाख” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (झ) क्रम संख्या 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“37क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रम संख्या 36 या 37 में विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के पुनः बीमा के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

- (ञ) क्रम संख्या 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“40क	शीर्ष 9971	<p>किसी बहु सेवा वाले विशेष आर्थिक जोन में स्थित वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ जिनका इंटरनेशनल फाइनेशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) स्टेटस हो, के द्वारा भारत के बाहर स्थित किसी ग्राहक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रुपए से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में दी गई सेवाएं</p> <p>स्पष्टीकरण :- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है,</p> <p>(i) जिसे भारत सरकार ने इस निमित्त अनुमति या मान्यता दी है या किसी विनियामक प्राधिकरण ने इस निमित्त अनुमति दी है या जो आईएफएससी के विनियमन के लिए नियुक्त कोई विनियामक है के रूप में मान्यता दी है, या</p> <p>(ii) जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियमावली, 2015 के अंतर्गत भारत के बाहर का कोई निवासी व्यक्ति माना गया हो, या</p> <p>(iii) जो कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण</p>	शून्य	शून्य”;

		(अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) के दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत आईएफएससी बीमा अधिकारी के रूप में पंजीकृत हो, या (iv) जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत इस निमित्त अनुमति प्रदान की हो।		
--	--	---	--	--

(ट) क्रम संख्या 47 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क), उप मद (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;”;

ii. मद (ख), उप मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iv) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;”;

iii. मद (ग), उप मद (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय।”;

(ठ) क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“56क	शीर्ष 9985	कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

(ड) क्रम संख्या 57 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में मद (छ), के पश्चात् निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ज) कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।”

(ढ) क्रम संख्या 63 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “विदेश मंत्रालय,” को निरसित किया जाएगा, यथा:

(ण) क्रम संख्या 68 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“68क	शीर्ष 9991	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

(त) क्रम संख्या 69 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क) के पश्चात्, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(कक) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के एवज में प्रवेश परीक्षा को आयोजित करके दी जाने वाली सेवा;”

ii. मद (ख) में,-

(क) उप-मद (4) में, “ माध्यमिक स्तर तक” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख) उप मद (iv), के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(v) एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की ऑन लाइन आपूर्ति के माध्यम से किसी शैक्षणिक संस्थान को”;

- (ग) परन्तुकि में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “प्रविष्टि (ख)” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “मद (ख)” के “उप मद (i), (ii) और (iii)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) परन्तुकि के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुकि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
“बशर्ते और भी कि मद (ख) के उप मद (v) में निहित कोई भी बात ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो कि - (i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या समकक्ष स्तर तक शिक्षा के माध्यम से या (ii) किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हों”;
- (थ) क्रम संख्या 80 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पांच सौ” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
- (द) क्रम संख्या 84 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
“निम्नलिखित में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी जाने वाली सेवाएं—
(क) सर्कस, नृत्य या थिएटर-मंचन जिसमें नाटक या बैले भी शामिल हैं;
(ख) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह और पैजियंट प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शन या कोई क्रीड़ा जो कि मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह से भिन्न हो;
(ग) मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह;
(घ) तारामंडल;
जहां उपर्युक्त मद (क), (ख), (ग) या (घ) में यथा संदर्भित समारोह या स्थानों में प्रवेश के अधिकार का प्रतिफल 500 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक न हो”.

[फा. सं.354/13/2018 -टीआयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट :- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 49/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे सा.का.नि 1408 (अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 2/2018- Integrated Tax (Rate)

G.S.R.70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (a) against serial number 3, in the entry in column (3), after the words “a Governmental Authority” the words “or a Government Entity” shall be inserted;
- (b) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3A	Chapter 99	Composite supply of goods and services in which the value of supply of goods constitutes not more than 25 per cent of the value of the said composite supply provided to the Central Government, State Government or Union territory or local authority or a Governmental authority or a Government Entity by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution or in relation to any function entrusted to a Municipality under article 243W of the Constitution.	Nil	Nil";

- (c) against serial number 10, in the entry in column (3), after item (b), the following item shall be inserted, namely: -

"(ba) way of supply of online educational journals or periodicals to an educational institution other than an institution providing services by way of-

(i) pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent; or

(ii) education as a part of an approved vocational education course;"

- (d) against serial number 17, in the entry in column (3), for the words "one year", the words "three years" shall be substituted;

- (e) after serial number 20 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"20A	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by an aircraft from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after the 30th day of September 2018.
20B	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by a vessel from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after 30th day of September 2018.";

- (f) against serial number 23, in the entry in column (3), after item (b), the following item shall be inserted, namely: -

"(c) motor vehicle for transport of students, faculty and staff, to a person providing services of transportation of students, faculty and staff to an educational institution providing services by way of pre-school education and education upto higher secondary school or equivalent."

- (g) after serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"30A	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Naval Group Insurance Fund to the personnel of Coast Guard under the Group Insurance Schemes of the Central Government.	Nil	Nil";

- (h) against serial number 37, in the entry in column (3), in item (c), for the words "fifty thousand", the words "two lakhs" shall be substituted;

- (i) after serial number 37 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"37A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by way of reinsurance of the insurance schemes specified in serial numbers 36 or 37.	Nil	Nil";

- (j) after serial number 40 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"40A	Heading 9971	Services by an intermediary of financial services located in a multi services SEZ with International Financial Services Centre (IFSC) status to a customer located outside India for international financial services in currencies other than Indian rupees (INR). <i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the intermediary of financial services in IFSC is a person,- (i) who is permitted or recognised as such by the Government of India or any Regulator appointed for regulation of IFSC; or (ii) who is treated as a person resident outside India under regulation 3 of the Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015; or (iii) who is registered under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (International Financial Service Centre) Guidelines, 2015 as IFSC Insurance Office; or (iv) who is permitted as such by Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015.	Nil	Nil";

- (k) against serial number 47, in the entry in column (3),-

- (i) in item (a), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

"(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity;";

- (ii) in item (b), after sub-item (iii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

"(iv) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity;";

- (iii) in item (c), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

"(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity;";

- (l) after serial number 56 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"56A	Heading 9985	Services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.	Nil	Nil";

- (m) against serial number 57, in the entry in column (3), after item (g), the following item shall be inserted, namely:-

"(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce;";

- (n) against serial number 63, in the entry in column (3), the words "the Ministry of External Affairs," shall be omitted;

- (o) after serial number 68 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"68A	Heading 9991	Services by way of providing information under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005).	Nil	Nil";

- (p) against serial number 69, in the entry in column (3),-
- (i) after item (a), the following item shall be inserted, namely:-
“(aa) by an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee;”;
- (ii) in item (b),-
1. in sub-item (iv), the words “upto higher secondary” shall be omitted;
 2. after sub-item (iv), the following sub-item shall be inserted, namely:-
“(v) supply of online educational journals or periodicals;”;
 3. in the proviso, for the words brackets and letter “entry (b)”, the words, brackets and letters “sub-items (i), (ii) and (iii) of item (b)” shall be substituted;
 4. after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
“Provided further that nothing contained in sub-item (v) of item (b) shall apply to an institution providing services by way of,-
 - (i) pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent; or
 - (ii) education as a part of an approved vocational education course.”;
- (q) against serial number 80, in the entry in column (3), in item (c), for the words “five thousand”, the words “seven thousand five hundred” shall be substituted;
- (r) against serial number 84, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely: -
“Services by way of right to admission to-
 - (a) circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet;
 - (b) award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognised sporting event;
 - (c) recognised sporting event;
 - (d) planetarium,
where the consideration for right to admission to the events or places as referred to in items (a), (b), (c) or (d) above is not more than Rs 500 per person.”.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.49/2017 – Integrated Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 *vide* number G.S.R. 1408(E), dated the 14th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

संख्या 3/2018- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 71(अ).—केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"6क	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के खंड (v), के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति।

- (ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

‘(च) किसी “बीमा अभिकर्ता” का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है।’

[फा. सं.354/13/2018- टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट :— प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा०का०नि० 685 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 34/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, सा०का०नि० 1277 (अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 3/2018- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, after serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"6A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 read with clause (v) of section 20 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.”;

(ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(f) “insurance agent” shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).’.

[F. No. 354/13/2018- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 10/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 685 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 34/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 13th October, 2017 *vide* number G.S.R. 1277 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 4/2018- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 72(ब.).— एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात् :-

(क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और

(ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर एकीकृत कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर या निर्माण कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 4/2018-Integrated Tax (Rate)

G.S.R.72(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely:-

- registered persons who supply development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration, wholly or partly, in the form of construction service of complex, building or civil structure; and
- registered persons who supply construction service of complex, building or civil structure to supplier of development rights against consideration, wholly or partly, in the form of transfer of development rights,

as the registered persons in whose case the liability to pay integrated tax on supply of the said services, on the consideration received in the form of construction service referred to in clause (a) above and in the form of development rights referred to in clause (b) above, shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure, to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed or similar instrument (for example allotment letter).

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

संख्या 5/2018- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि.73(अ.).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा देकर की जाने वाली सेवाओं की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक यह प्रॉफिट पेट्रोलियम में केन्द्र सरकार के हिस्से, इसकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केन्द्र सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है।

[फा. सं. 354/13/2018- टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 5/2018- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the inter-State supply of services by way of grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas or both, from so much of the integrated tax as is leviable on the consideration paid to the Central Government in the form of Central Government's share of profit petroleum as defined in the contract entered into by the Central Government in this behalf.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी 2018

सं. 6/2018- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि.74(अ.).— एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है, की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा उन सेवाओं की आपूर्ति पर, जिनका आयात भारत के भू-क्षेत्र में किया गया हो और जो उक्त अधिनियम की धारा 20 के द्वारा लागू किए गए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की अनुसूची II के मद 5 के उप मद (ग) के अंतर्गत आती हैं, पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 5

के अंतर्गत लगाए जाने वाले एकीकृत कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक उन पर सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियमावली, 2007 के नियम 10 के उप नियम (1) के उप वाक्य (ग) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट संव्यवहार मूल्य में शामिल रॉयलटी और लाइसेंस शुल्क के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप धारा (1) के अंतर्गत घोषित उस प्रतिफल पर, जिस पर की यथोचित सीमा शुल्क भुगतान किया गया है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (7) के अंतर्गत सकल सीमा शुल्क लगाया जाता हो।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 6/2018- Integrated Tax (Rate)

G.S.R.74(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the integrated tax leviable under section 5 read with section 7 of the said Act on the supply of services, imported into the territory of India, covered by sub-item (c) of item 5 of Schedule II to the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) as made applicable by section 20 of the said Act, to the extent of the aggregate of the duties of Customs leviable under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), on the consideration declared under sub-section (1) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) towards royalties and license fees included in the transaction value as specified under clause (c) of sub-rule(1) of rule 10 of the Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007 on which the appropriate duties of Customs have been paid.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 1/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 75(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), धारा 8 की उप धारा (1), तथा धारा 21 के खंड (iv), एवं खंड (v) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017 संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II, भाग 3, उप भाग (i) में सा.का.नि. संख्या 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

क. मद (iv) में,

(i) उप मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ग) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भूमि को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए वर्तमान मलिन बस्तियों का स्व:स्थानिक पुनर्विकास;”;

(ii) उप मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(घक) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य/स्थानीय प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा भागीदारी के तहत एफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्मित आवासों से संबंधित हो;

(घख) कोई निर्माण संरचना या अन्य कोई मूल निर्माण कार्य जो कि सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग-1 (एमआईजी-1)/मध्यम आय वर्ग-2 (एमआईजी-2) से संबंधित क्रेडिट लिंक सिन्सडी स्कीम के अंतर्गत निर्मित या अधिग्रहित मकानों से संबंधित हो”;

(iii) उप मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(छ) ऐसा भवन जो कि ऐसे किसी निकाय के स्वामित्व में हो जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत पंजीकृत हो, जिसका प्रयोग केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को प्रदान करने, केन्द्रीय रूप से तैयार करने या उसका वितरण करने के कार्य में किया जाता हो,”

ख. मद (v) में,

(i) उप मद (क) में “छोड़कर” शब्द के स्थान पर “समेत” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(ii) उप मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप मदों को अंतःस्थापित किया जाएगा,

“(घक) किसी एफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना के अंतर्गत बनाए गए सस्ते मकान जिनका कार्पेट एरिया 60 वर्ग मीटर प्रति मकान हो जिनको भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले के विभाग की अधिसूचना, फाइल संख्या 13/6/2009-आईएनएफ, दिनांक 30 मार्च, 2017 के तहत अवसंरचना का दर्जा दिया गया हो”;

ग. मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, कॉलम (3), (4) और (5) में, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ix) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (iii) या (vi) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो।	6	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।
(x) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के उपवाक्य (119) में यथापरिभाषित निर्माण अनुबंध की संयुक्त आपूर्ति, जो कि किसी उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को दी गई हो जो कि उपर्युक्त (vii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को प्रदान करता हो	2.5	बशर्ते कि जहां ऐसी सेवाएं किसी सरकारी निकाय को प्रदान की जा रही हों, वहां उनको उक्त निकाय द्वारा अपने उस निर्माण कार्य के संबंध में प्राप्त की गई हो जो कि उसको केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा सौंपा गया हो।

(xi) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलेक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(xii) निर्माण सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) से भिन्न हों।	9	-";

(ख) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (v) में "प्राकृतिक गैस" शब्दों के स्थान पर "प्राकृतिक गैस, कच्चा पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट (जिसे सामान्य पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), हार्ड स्पीड डीजल या एविएशन टूबाईन फ्यूल" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि माल (जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, से पृथक) पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) परिवहन वाहनों को चाहे चालक समेत अथवा बिना चालक के किराए पर देने की सेवा, उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न।	9	-";

(घ) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16	शीर्ष 9972	(i) भूमि को पट्टे पर दिए जाने के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	-
		(ii) पट्टे या उप पट्टे के आधार पर किसी भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से की आपूर्ति जहां कि ऐसी आपूर्ति मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (घक) और उप मद (घख); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (घक) एवं मद (vi) के उप मद (ग) में क्रम संख्या 3 के समक्ष प्रविष्टि के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट फ्लैटों आदि के निर्माण की संयुक्त आपूर्ति का एक हिस्सा है। बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे पट्टे या उप-पट्टे पर भारित उस किसी राशि पर लागू नहीं होगी जो कि उक्त संयुक्त आपूर्ति पर भारित कुल राशि के एक तिहाई से अधिक हो। इस परन्तुक के संदर्भ में "कुल राशि" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए इस अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में दिया गया है।	शून्य	-
		(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) से पृथक रीएल एस्टेट सेवाएं	9	-";

- (ड) क्रम संख्या 17 के समक्ष कॉलम संख्या (3) में मद (vii) के स्थान पर तथा कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) माल का परिवहन करने वाले जलयानों का टाइम चार्टर	2.5	बशर्ते कि ऐसे माल (जो कि जहाज, जलयान, जिसमें बल्क कैरियर और टैंकर भी आते हैं, में लदे सामानों से पृथक) इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(viii) पट्टा या किराए की सेवाएं चाहे आपरेटर सहित हों या नहीं, जो कि उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) से पृथक हैं।	संघ राज्यक्षेत्र कर की वही दर जो कि इसी प्रकार के माल, जिसमें माल के स्वामित्व का अंतरण भी शामिल है, की आपूर्ति पर लागू हो।	-”;

- (च) क्रम संख्या 23 के समक्ष शर्त 1 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि (i) से संबंधित कॉलम (5) की प्रविष्टि में, “सेवाओं की आपूर्ति”, शब्दों के पश्चात् “, इसी प्रकार के व्यापार (जैसे कि किसी अन्य टूर आपरेटर से ली गई टूर आपरेटर सेवा) में इनपुट सेवाओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट से भिन्न” को अंतःस्थापित किया जाएगा।
- (छ) क्रम संख्या 23 के समक्ष कॉलम (3) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
(iii) समर्थन सेवाएं जो कि उपर्युक्त (i) और (ii) से भिन्न हों।	9	-”;

- (ज) क्रम संख्या 24 के समक्ष कॉलम (3),-

(i) के मद (i) की प्रविष्टि में दिए गए स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (i) में उप उपवाक्य (छ) के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(ज) कृषि उत्पादों के वेयर हाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवा;”;

(ii) के मद (ii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) कच्चे पेट्रोलियम और/या प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, खनन या ड्रिलिंग की सेवा	6	-
(iii) खनन, विद्युत, गैस और जल संचितरण की सहायक सेवाएं जो कि उपर्युक्त (ii) से भिन्न हों।	9	-”;

(झ) क्रम संख्या 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25	शीर्ष 9987	(i) घर की देखभाल के रूप में दी जाने वाली सेवाएं जैसे कि प्लंबिंग, कारपेंटिंग जहां कि इलैक्ट्रॉनिक्स कामर्स आपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक नहीं है।	2.5	बशर्ते कि माल एवं सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) देखभाल, मरम्मत और संस्थापन सेवाएं (निर्माण कार्य को छोड़कर), उपर्युक्त (i) से भिन्न।	9	-”;

(ञ) क्रम संख्या 26 के समक्ष कॉलम (3) में,-

a. मद (i) उप मद (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(ड.क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 में आने वाले क्रमशः चमड़े के सामानों या फुटवियर का विनिर्माण;”;

b. मद (iii) के स्थान पर और उससे संबंधित (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) टेलरिंग सेवाएं	2.5	-
(iv) दूसरे के स्वामित्व में आने वाले भौतिक वस्तुओं (सामानों) के विनिर्माण की सेवाएं, उपर्युक्त (i), (िक), (ii), (iिक) और (iii) से भिन्न।	9	-”;

(ट) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	शीर्ष 9994	(i) कॉमन ईफ्लयेंट प्लांट के द्वारा उत्सर्जनों के परिशोधन की सेवाएं	6	-
		(ii) सिवेज और कचड़ों का संकलन, उनका परिशोधन और निपटान तथा अन्य पर्यावरण रक्षक सेवाएं, उपर्युक्त (i) से भिन्न	9	-”;

(ठ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3),

a. मद (iii) के स्थान पर तथा उससे संबंधित कॉलम (3), (4) और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) मनोरंजन पार्कों जिसमें थीम पार्कस, वाटर पार्कस, जॉय राइड्स, मैरीगो राउंडस, गो-कार्टिंग भी आते हैं और बैले में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।	9	-
(iii) मनोरंजन समारोह में प्रवेश या मनोरंजन सुविधाओं, जिसमें सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रदर्शन, कैसिनो, रेस क्लब और क्रीड़ा समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग भी शामिल है और इसी तरह के अन्य बातें शामिल हैं, में प्रवेश के रूप में दी जाने वाली सेवा।	14	-”;

b. मद (vi) में, कोष्ठक और अंक “(iii)” के बाद कोष्ठक और अंक “(iii),” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“2. उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या (3) के मद (i); मद (iv) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ), उप मद (च) और उप मद (छ); मद (v) के उप मद (ख), उप मद (ग), उप मद (घ) और उप मद (च); और मद (vi) के उप मद (ग) के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सेवा की आपूर्ति के मामले में, जिसमें भूमि या भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, का अंतरण शामिल हो तो ऐसी आपूर्ति का मूल्य उस कुल राशि के समतुल्य होगा जो कि ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि में से ऐसी भूमि या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य को घटाकर प्राप्त होगी और ऐसी भूमि के या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से, जैसी भी स्थिति हो, के अंतरण मूल्य के लिए यह माना जाएगा कि यह ऐसी आपूर्ति पर भारित कुल राशि का एक-तिहाई होगा।

स्पष्टीकरण – उपर्युक्त पैराग्राफ 2 के मामले में, “कुल राशि” से अभिप्राय -

(क) उपर्युक्त सेवाओं के एवज में भारित प्रतिफल; और

(ख) ऐसी भूमि के/की या ऐसी भूमि के अविभाजित हिस्से के/की, जैसी भी स्थिति हो, अंतरण पर भारित राशि, जिसमें ऐसे अंतरण में पट्टा या उप पट्टा भी शामिल है, के योग से है”

[फा. सं. 354/13/2018- टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं. 11/2017 – संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 1409(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत अधिसूचना संख्या 46/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 1/2018-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R.75(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7, subsection (1) of section 8 and clause (iv) and clause (v) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.11/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,

- (i) in the Table, -
- (a) against serial number 3, in column (3), -
- (A) in item (iv),-
- (I) for sub-item (c), the following sub-item shall be substituted, namely: -
- ‘(c) a civil structure or any other original works pertaining to the “In-situ redevelopment of existing slums using land as a resource, under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);’;
- (II) after sub-item (d), the following sub-items shall be inserted, namely: -
- ‘(da) a civil structure or any other original works pertaining to the “Economically Weaker Section (EWS) houses” constructed under the Affordable Housing in partnership by State or Union Territory or local authority or urban development authority under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);
- (db) a civil structure or any other original works pertaining to the “houses constructed or acquired under the Credit Linked Subsidy Scheme for Economically Weaker Section (EWS)/ Lower Income Group (LIG)/ Middle Income Group-1 (MIG-1)/ Middle Income Group-2 (MIG-2)” under the Housing for All (Urban) Mission/ Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban);’;
- (III) after sub-item (f), the following sub-items shall be inserted, namely: -
- “(g) a building owned by an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which is used for carrying out the activities of providing, centralised cooking or distribution, for mid-day meals under the mid-day meal scheme sponsored by the Central Government, State Government, Union territory or local authorities.”;
- (B) in item (v),
- (I) in sub-item (a), for the word “excluding”, the word “including” shall be substituted;
- (II) after sub-item (d), the following sub-item shall be inserted, namely: -
- “(da) low-cost houses up to a carpet area of 60 square metres per house in an affordable housing project which has been given infrastructure status vide notification of Government of India, in Ministry of Finance, Department of Economic Affairs vide F. No. 13/6/2009-INF, dated the 30th March, 2017;”;
- (C) for item (ix) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ix) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (iii) or item (vi) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	6	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(x) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 provided by a sub-contractor to the main contractor providing services specified in item (vii) above to the Central Government, State Government, Union territory, a local authority, a Governmental Authority or a Government Entity.	2.5	Provided that where the services are supplied to a Government Entity, they should have been procured by the said entity in relation to a work entrusted to it by the Central Government, State Government, Union territory or local authority, as the case may be.
(xi) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(xii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xi) above.	9	—”;

- (b) against serial number 9, in the entry in column (3), in item (v), for the words “natural gas”, the words and brackets “natural gas, petroleum crude, motor spirit (commonly known as petrol), high speed diesel or aviation turbine fuel” shall be substituted;
- (c) against serial number 10, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(iii) Rental services of transport vehicles with or without operators, other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- (d) for serial number 16 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“16	Heading 9972	(i) Services by the Central Government, State Government, Union territory or local authority to governmental authority or government entity, by way of lease of land.	Nil	-
		(ii) Supply of land or undivided share of land by way of lease or sub lease where such supply is a part of composite supply of construction of flats, etc. specified in the entry in column (3), against serial number 3, at item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi). Provided that nothing contained in this entry shall apply to an amount charged for such lease and sub-lease in excess of one third of the total amount charged for the said composite supply. Total amount shall have the same meaning for the purpose of this proviso as given in paragraph 2 of this notification.	Nil	-
		(iii) Real estate services other than (i) and (ii) above.	9	-”;

- (e) against serial number 17, for item (vii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Time charter of vessels for transport of goods.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods (other than on ships, vessels including bulk carriers and tankers) has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(viii) Leasing or rental services, with or without operator, other than (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) above.	Same rate of Union territory tax as applicable on supply of like goods involving transfer of title in goods.	-”;

(f) in serial number 23, against item (i) in column (3), in condition 1 in column (5), after the words “supplying the service”, the words and brackets “, other than the input tax credit of input service in the same line of business (i.e. tour operator service procured from another tour operator)” shall be inserted;

(g) against serial number 23, for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
(iii) Support services other than (i) and (ii) above.	9	-”;

(h) against serial number 24,-

(A) in the *Explanation* to item (i) in column (3), in clause (i), after sub-clause (g), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.”;

(B) for item (ii) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ii) Service of exploration, mining or drilling of petroleum crude or natural gas or both.	6	-
(iii) Support services to mining, electricity, gas and water distribution other than (ii) above.	9	-”;

(i) for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25	Heading 9987	(i) Services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering, etc. where the person supplying such service through electronic commerce operator is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services has not been taken [Please refer to <i>Explanation</i> no. (iv)].
		(ii) Maintenance, repair and installation (except construction) services, other than (i) above.	9	-”;

(j) against serial number 26, in column (3),-

A. in item (i), after sub-item (e), the following sub-item shall be inserted, namely: -

“(ea) manufacture of leather goods or footwear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) respectively;”;

B. for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Tailoring services	2.5	-
(iv) Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others, other than (i), (ia), (ii), (iia) and (iii) above.	9	-”;

(k) for serial number 32 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“32	Heading 9994	(i) Services by way of treatment of effluents by a Common Effluent Treatment Plant.	6	-
		(ii) Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental protection services other than (i) above.	9	-”;

(l) against serial number 34, in column (3),

(A) for item (iii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services by way of admission to amusement parks including theme parks, water parks, joy rides, merry-go rounds, go-carting and ballet.	9	-
(iiia) Services by way of admission to entertainment events or access to amusement facilities including exhibition of cinematograph films, casinos, race club, any sporting event such as Indian Premier League and the like.	14	-”;

(B) in item (vi), after the brackets and figures “(iii)”, the brackets and figures “(iiia),” shall be inserted;

(ii) for paragraph 2, the following shall be substituted, namely: -

“2. In case of supply of service specified in column (3), in item (i); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d), sub-item (da) and sub-item (db) of item (iv); sub-item (b), sub-item (c), sub-item (d) and sub-item (da) of item (v); and sub-item (c) of item (vi), against serial number 3 of the Table above, involving transfer of land or undivided share of land, as the case may be, the value of such supply shall be equivalent to the total amount charged for such supply less the value of transfer of land or undivided share of land, as the case may be, and the value of such transfer of land or undivided share of land, as the case may be, in such supply shall be deemed to be one third of the total amount charged for such supply.

Explanation. –For the purposes of this paragraph, “total amount” means the sum total of,-

(a) consideration charged for aforesaid service; and

(b) amount charged for transfer of land or undivided share of land, as the case may be including by way of lease/sublease.”.

[F. No.354/13/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 11/2017 – Union Territory Tax(Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 46/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 *vide* number G.S.R. 1409(E), dated the 14th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 2/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि.76(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (क) क्रम संख्या 3 के समक्ष कालम (3) की प्रविष्टि में, “सरकारी प्राधिकारी” शब्दों के पश्चात् “या सरकारी निकाय” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा, -
- (ख) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*3क	अध्याय 99	संविधान के अनुच्छेद 243छ के अंतर्गत किसी पंचायत को या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत किसी नगर निगम को सौंपे गए किसी कार्य से संबंधित किसी क्रियाकलाप के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय को दी जाने वाली माल एवं सेवाओं की संयुक्त आपूर्ति जिसमें माल की उक्त संयुक्त आपूर्ति का मूल्य ऐसी आपूर्ति के मूल्य से 25 प्रतिशत से अधिक न हो।	शून्य	शून्य”;

- (ग) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“19क	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लियरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर वायुयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।
19ख	शीर्ष 9965	भारत में स्थित किसी कस्टम्स क्लियरेंस स्टेशन से भारत के बाहर स्थित किसी स्थान पर जलयान के द्वारा माल का परिवहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवा	शून्य	इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 30 सितम्बर, 2018 के बाद लागू नहीं होगी।

(ड) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन जो कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के परिवहन की सेवा प्रदान करता हो जो कि विद्यालय पूर्व की शिक्षा और माध्यमिक स्तर या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है।”;

(च) क्रम संख्या 29 के समक्ष और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“29क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	केन्द्र सरकार की सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत तटरक्षक के कर्मचारियों को नवल ग्रुप इश्योरेंस फंड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली या प्रदान किए जाने के लिए सहमति दी गई जीवन बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

(छ) क्रम संख्या 36 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में “पचास हजार” शब्दों के स्थान पर “दो लाख” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ज) क्रम संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36क	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	क्रम संख्या 35 या 36 में विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के पुनः बीमा के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

(झ) क्रम संख्या 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“39क	शीर्ष 9971	किसी बहु सेवा वाले विशेष आर्थिक जोन में स्थित वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ जिनका इंटरनेशनल फाइनेशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) स्टेटस हो, के द्वारा भारत के बाहर स्थित किसी ग्राहक को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए भारतीय रुपए से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में दी गई सेवाएं स्पष्टीकरण :- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं के माध्यस्थ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, या (i) जिसे भारत सरकार ने इस निमित्त अनुमति या मान्यता दी है या किसी विनियामक प्राधिकरण ने इस निमित्त अनुमति दी है या जो आईएफएससी के विनियमन के लिए नियुक्त कोई	शून्य	शून्य”;

		विनियामक है के रूप में मान्यता दी है, या (ii) जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियमावली, 2015 के अंतर्गत भारत के बाहर का कोई निवासी व्यक्ति माना गया हो, या (iii) जो कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) के दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत आईएफएससी बीमा अधिकारी के रूप में पंजीकृत हो, या (iv) जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देश, 2015 के अंतर्गत इस निमित्त अनुमति प्रदान की हो।		
--	--	---	--	--

(ज) क्रम संख्या 45 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क), उप मद (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;”;

ii. मद (ख), उप मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iv) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय;”;

iii. मद (ग), उप मद (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(iii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय।”;

(ट) क्रम संख्या 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“53क	शीर्ष 9985	कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

(ठ) क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में मद (छ), के पश्चात् निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ज) कृषि उत्पादों के वेयरहाउसों में धूमन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।”

(ड) क्रम संख्या 60 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “विदेश मंत्रालय,” को निरसित किया जाएगा, यथा:

(ढ) क्रम संख्या 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“65क	शीर्ष 9991	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

(ण) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,-

i. मद (क) के पश्चात्, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(कक) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के एवज में प्रवेश परीक्षा को आयोजित करके दी जाने वाली सेवा;”

ii. मद (ख) में,-

(क) उप-मद (iv) में, “ माध्यमिक स्तर तक” शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख) उप मद (iv), के पश्चात्, निम्नलिखित उप मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(v) एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की ऑन लाइन आपूर्ति :”;

(ग) परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “प्रविष्टि (ख)” के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर “मद (ख) के उप मद (i), (ii) और (iii) ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते और भी कि मद (ख) के उप मद (v) में निहित कोई भी बात ऐसे संस्थानों पर लागू नहीं होगी जो कि, -

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक या समकक्ष स्तर तक शिक्षा के माध्यम से; या

(ii) किसी अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हों”;

(त) क्रम संख्या 77 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ग) में “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर “सात हजार पांच सौ” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(थ) क्रम संख्या 81 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“निम्नलिखित में प्रवेश के अधिकार के रूप में दी जाने वाली सेवाएं -

(क) सर्कस, नृत्य या थिएटर-मंचन जिसमें नाटक या बैले भी शामिल हैं;

(ख) पुरस्कार समारोह, संगीत समारोह और पैजियंट प्रतियोगिता, संगीत प्रदर्शन या कोई क्रीड़ा जो कि मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह से भिन्न हो;

(ग) मान्यता प्राप्त क्रीड़ा समारोह;

(घ) तारामंडल;

जहां उपर्युक्त मद (क), (ख), (ग) या (घ) में यथा संदर्भित समारोह या स्थानों में प्रवेश के अधिकार का प्रतिफल 500 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक न हो ।” ।

[फा. सं. 354/13/2018 -टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 12/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा० का० नि० 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 47/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर(दर), दिनांक 14 नवंबर, 2017, सा० का० नि० 1410 (अ) 14 नवंबर, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 2/2018- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R.76(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (a) against serial number 3, in the entry in column (3), after the words “a Governmental Authority” the words “or a Government Entity” shall be inserted;
- (b) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3A	Chapter 99	Composite supply of goods and services in which the value of supply of goods constitutes not more than 25 per cent. of the value of the said composite supply provided to the Central Government, State Government or Union territory or local authority or a Governmental authority or a Government Entity by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution or in relation to any function entrusted to a Municipality under article 243W of the Constitution.	Nil	Nil”;

- (c) against serial number 16, in the entry in column (3), for the words “one year”, the words “three years” shall be substituted;
- (d) after serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“19A	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by an aircraft from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after the 30 th day of September, 2018.
19B	Heading 9965	Services by way of transportation of goods by a vessel from customs station of clearance in India to a place outside India.	Nil	Nothing contained in this serial number shall apply after the 30 th day of September, 2018.”;

- (e) against serial number 22, in the entry in column (3), after item (b), the following item shall be inserted, namely: -

“(c) motor vehicle for transport of students, faculty and staff, to a person providing services of transportation of students, faculty and staff to an educational institution providing services by way of pre-school education and education upto higher secondary school or equivalent.”;

(f) after serial number 29 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“29A	Heading 9971 or Heading 9991	Services of life insurance provided or agreed to be provided by the Naval Group Insurance Fund to the personnel of Coast Guard under the Group Insurance Schemes of the Central Government.	Nil	Nil”;

(g) against serial number 36, in the entry in column (3), in item (c), for the words “fifty thousand”, the words “two lakhs” shall be substituted;

(h) after serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by way of reinsurance of the insurance schemes specified in serial number 35 or 36.	Nil	Nil”;

(i) after serial number 39 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“39A	Heading 9971	<p>Services by an intermediary of financial services located in a multi services SEZ with International Financial Services Centre (IFSC) status to a customer located outside India for international financial services in currencies other than Indian rupees (INR).</p> <p><i>Explanation.-</i> For the purposes of this entry, the intermediary of financial services in IFSC is a person,-</p> <p>(i) who is permitted or recognised as such by the Government of India or any Regulator appointed for regulation of IFSC; or</p> <p>(ii) who is treated as a person resident outside India under the Foreign Exchange Management (International Financial Services Centre) Regulations, 2015; or</p> <p>(iii) who is registered under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (International Financial Service Centre) Guidelines, 2015 as IFSC Insurance Office; or</p> <p>(iv) who is permitted as such by Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015.</p>	Nil	Nil”;

(j) against serial number 45, in the entry in column (3),-

i. in item (a), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity”;

ii. in item (b), after sub-item (iii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(iv) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity.”;

iii. in item (c), after sub-item (ii), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(iii) the Central Government, State Government, Union territory, local authority, Governmental Authority or Government Entity.”;

(k) after serial number 53, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“53A	Heading 9985	Services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.	Nil	Nil”;

(l) against serial number 54, in the entry in column (3), after item (g), the following item shall be inserted, namely:-

“(h) services by way of fumigation in a warehouse of agricultural produce.”;

(m) against serial number 60, in the entry in column (3), the words “the Ministry of External Affairs,” shall be omitted;

(n) after serial number 65 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“65A	Heading 9991	Services by way of providing information under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005).	Nil	Nil”;

(o) against serial number 66, in the entry in column (3),-

i. after item (a), the following item shall be inserted, namely:-

“(aa) by an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee.”

ii. in item (b),-

(A) in sub-item (iv), the words “upto higher secondary” shall be omitted;

(B) after sub-item (iv), the following sub-item shall be inserted, namely:-

“(v) supply of online educational journals or periodicals.”;

(C) in the proviso, for the word, brackets and letter “entry (b)”, the words, brackets and letter “sub-items (i), (ii) and (iii) of item (b)” shall be substituted;

(D) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that nothing contained in sub-item (v) of item (b) shall apply to an institution providing services by way of,-

(i) pre-school education and education up to higher secondary school or equivalent; or

(ii) education as a part of an approved vocational education course.”;

(p) against serial number 77, in the entry in column (3), in item (c), for the words “five thousand”, the words “seven thousand five hundred” shall be substituted;

(q) against serial number 81, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely:

-

“Services by way of right to admission to-

(a) circus, dance, or theatrical performance including drama or ballet;

(b) award function, concert, pageant, musical performance or any sporting event other than a recognised sporting event;

(c) recognised sporting event;

(d) planetarium,

where the consideration for right to admission to the events or places as referred to in items (a), (b), (c) or (d) above is not more than Rs 500 per person.”.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No.47/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 *vide* number G.S.R. 1410(E), dated the 14th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

संख्या 3/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 77(अ).— संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 13/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा0का0नि0 704(अ), दिनांक, 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“5क	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के खंड (vi), के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति।

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

‘(च) किसी “बीमा अभिकर्ता” का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है।

[फा. सं. 354/13/2018- टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 13/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा०का०नि० 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 33/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, सा०का०नि० 1281 (अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 3/2018- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R.77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 read with clause (vi) of section 21 of Union Territory Goods and Services Act, 2017";

(ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(f) “insurance agent” shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).’.

[F. No. 354/13/2018- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 13/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 704 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 33/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 13th October, 2017 *vide* number G.S.R. 1281 (E), dated the 13th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सं. 04/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 78 (अ.)— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात् :-

- (क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और
- (ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर संघ राज्यक्षेत्र कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है।

[फा. सं. 354/13/2018- टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 4/2018-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R.78(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely:-

- (a) registered persons who supply development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration, wholly or partly, in the form of construction service of complex, building or civil structure; and
- (b) registered persons who supply construction service of complex, building or civil structure to supplier of development rights against consideration, wholly or partly, in the form of transfer of development rights,

as the registered persons in whose case the liability to pay Union territory tax on supply of the said services, on the consideration received in the form of construction service referred to in clause (a) above and in the form of development rights referred to in clause (b) above, shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure, to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed or similar instrument (for example allotment letter).

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

संख्या 5/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 79(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा देकर

की जाने वाली सेवाओं की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर संघ राज्यक्षेत्र कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक यह प्रॉफिट पेट्रोलियम में केन्द्र सरकार के हिस्से, इसकी ओर से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अनुबंध में यथा निर्धारित, के रूप में केन्द्र सरकार को भुगतान किए जाने वाले प्रतिफल पर लगाया जाता है।

[फा. सं. 354/13/2018- टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 5/2018- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R.79(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of services by way of grant of license or lease to explore or mine petroleum crude or natural gas or both, from so much of the Union territory tax as is leviable on the consideration paid to the Central Government in the form of Central Government's share of profit petroleum as defined in the contract entered into by the Central Government in this behalf.

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.